सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.02.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री शंम्भू नाथ यादव, स०वि०स० श्री राम विशुन सिंह, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री शाहनवाज, स०वि०स० श्री हरिशंकर यादव, स०वि०स०	"बक्सर जिला के ब्रहमपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला जनेश्वर मिश्रा पुल का निर्माण हुआ है । बक्सर-पटना फोरलेन से जनेश्वर मिश्रा पुल तक रोड बनाने के लिए जिस जमीन का सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें रैयती जमीन को भू-अर्जन करने में 100 प्रतिशत खर्च करना होगा जबकि ब्रहमपुर चौरास्ता से आगे फोरलेन से कटकर निमेज बलुआ घाट भाया शिवपुर दियर जुनेवी होते हुए पुल तक रोड बनाने में भू-अर्जन 40 प्रतिशत होगा या फिर फोरलेन के गरहथा मोड़ से गायघाट भाया गोकुल जलाशय के किनारे से पुल तक रोड बनाने में 30 प्रतिशत भू-अर्जन करना होगा । अतएव बक्सर-पटना फोरलेन से जनेश्वर मिश्रा पुल तक सड़क बनाने के लिए उक्त दो विकल्पों पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । "	पथ निर्माण

2. श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स० श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०	"पंचायती राज विभाग के पत्रांक-14, दिनांक-16.06.2020 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टायड-अनटायड मद में 5018 करोड़ रूपये त्रिस्तरीय पंचायतों क्रमशः ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् को 70: 20 : 10 के अनुपात में स्वीकृतोपरान्त 09 माह पूर्व भेज दिया गया है । नई व्यवस्था में मुखिया-पंचायत सचिव, प्रमुख-बी०डी०ओ०, अध्यक्ष जिला परिषद्-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का डोंगल बनाने एवं PFMS के माध्यम से मजदूरों, दुकानदारों आदि के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित किये जाने तथा सभी योजनाओं का प्राक्कलन, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति साइट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है, जिस कारण पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के सभी जिलों में पन्द्रहवें वित्त की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च नहीं हो पा रही है जबकि राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है । अतएव 31 मार्च, 2021 तक पंचायती राज संस्थाओं को पुरानी प्रक्रिया के तहत 15वीं वित्त आयोग की राशि खर्च किये जाने का आदेश निर्गत करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पंचायती राज

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/2021- 631 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रतिः-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/2021- 631 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

24/2/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

24.2.21